

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.01.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती कुशलवता उर्फ बड़का पत्नी स्व0 शिवकुमार निवासी खरौरा मोहन थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 29/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामनेवास पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम व मौजा टिकौली थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 42/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना धानेपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कौशल कुमार पुत्र दुखरन निवासी ग्राम धौरहरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 17/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.01.2023

थाना को०देहात क्षेत्र अन्तर्गत हुई ब्लांडड मर्डर का सफल अनावरण, 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 16.01.2023 को वादी शमीम अहमद उर्फ गुड्डू ने सूचना दिया की उसके भाई मो०वसीम उर्फ बबलू का किसी ने हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेक दिया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के निर्देशन में घटना का सफल अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी थी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 20.01.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस ने रात्रि गस्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखवीर खास की सूचना पर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 01. इमरान हुसैन 02. फरहान उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भाई की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत कराया था।

हत्या का कारण-

हत्या का कारण मृतक मो० वसीम उर्फ बबलू उपरोक्त द्वारा STS मूल निधि कम्पनी में अभियुक्तगण का पैसा लगाया गया था। STS मूल निधि कम्पनी के भाग जाने के कारण अभियुक्तगण का सारा पैसा डूब गया जिसे अभियुक्तगण मृतक मो० वसीम उर्फ बबलू से बार-बार पैसे की माँग को लेकर ही हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. इमरान हुसैन पुत्र जावेद अली निवासी डडवा कानूनगो थाना को० देहात, जनपद- गोण्डा
02. फरहान उर्फ सोनू पुत्र वसीम निवासी फिरोजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं० 27/2023, धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि० थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

प्र०नि० श्री महेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली देहात मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.01.2023

पत्नी के चेहरे पर गर्म चाय फेकने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0स0 28/23 धारा 323, 504, 326, 506 भादवी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- धनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2023 को वादिनी के चेहरे पर गर्म चाय फेक दिया था जिससे वादिनी झुलस गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धनलाल पुत्र सियाराम गौतम निवासी ग्राम चमारनपुरवा पटखौली थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-28/23 धारा 323, 504, 326, 506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 भोलाशंकर मय टीमा

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 20.01.2023

वन्यजीव का आखेट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने वन जीव का आखेट कर माँस बेचने का अभियुक्त फखरुद्दीन पुत्र मुस्तकीम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नील गाय का मांस, काटने का ठीहा, 01 अदद चाकू, 01 अदद रेती, 01 अदद तराजू व बाट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. फखरुद्दीन पुत्र मुस्तकीम निवासी अल्लापुर मौजा रामापुर, थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 – 015/2023 धारा 429 भादवि 51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना कौडिया, जनपद गोण्डा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अश्वनी कुमार दूबे मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.01.2023

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 08 कार्टून विस्फोटक पदार्थ (पटाखे) किया बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री (पटाखे) का रखने के आरोप में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 कार्टून(गत्ते) में अवैध पटाखे बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. जमाल पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मोहल्ला सुभाष नगर माली टोला थाना कोतवाली नगर गोंडा ।
02. मोहम्मद शरीफ पुत्र मुमताज अली निवासी मोहल्ला सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 57/2023 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

बरामदगी:-

01. 8 कार्टून (गत्तों) में अवैध पटाखे।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

- उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम